भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

ई-न्यूजलेटर

भादूविप्रा
TRAI

अक्टूबर 2023

भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी. डी. वाघेला ने दिनांक 7-8 सितंबर 2023 को सियोल, कोरिया गणराज्य में आयोजित किए जा रहे जीएसएमए मोबाइल 360 एपीएसी और पॉलिसी लीडर्स फोरम, 2023 में मुख्य व्याख्यान दिए।

अनुशंसाएँ

भादूविप्रा ने "एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 11 मई 2022 के अपने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित दो मुद्दों पर भादूविप्रा से अनुशंसाएँ मांगीं:

क. दिनांक 25.07.2011 को जारी एफएम पीएच-III नीति दिशानिर्देश में निर्धारित वार्षिक शुल्क के फॉर्मूले में गैर-वापसीयोग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) के लिंक को हटाना।
ख. 15 वर्षों की मौजूदा एफएम लाइसेंस की अवधि को 3 वर्ष तक बढ़ाना।

भादूविप्रा ने 'एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों' विषय पर दिनांक 9 फरवरी 2023 को एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात भादूविप्रा ने दिनांक 5 सितंबर 2023 को अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं।

इन अनुशंसाओं के कुछ अंश इस प्रकार हैं:

i. एफएम रेडियो चैनल की वार्षिक लाइसेंस शुल्क को नॉन-रिफंडेबल वन टाइम एंट्री चार्ज (एनओटीईएफ) से अलग किया जाना चाहिए।
ii. लाइसेंस शुल्क की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान एफएम रेडियो चैनल के सकल राजस्व (जीआर) के 4% के रूप में की जानी चाहिए। जीएसटी को सकल राजस्व (जीआर) से बाहर रखा जाना चाहिए।
iii. सरकार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एफएम रेडियो प्रचालकों को राहत प्रदान करने के लिए समुचित उपाय कर सकती है।
iv. निजी एफएम रेडियो प्रचालकों को प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तक समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
v. समाचार सामग्री के लिए आकाशवाणी पर लागू कार्यक्रम आचार संहिता निजी एफएम रेडियो चैनलों पर भी लागू की जा सकती है।
vi. एफएम रेडियो से संबंधित कार्य या सुविधाएं आवश्यक हार्डवेयर वाले सभी मोबाइल हैंडसेट पर सक्षम और सक्रिय रहनी चाहिए। मोबाइल हैंडसेट में अंतर्निर्मित एफएम रेडियो रिसीवर किसी भी प्रकार की अक्षमता या निष्क्रियता के अधीन नहीं होना चाहिए।
vii. मोबाइल फोन के विनिर्माताओं (या आयातकों) द्वारा अनुपालन की निगरानी और अनुवीक्षण के लिए संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति की स्थापना

एमईआईटीवाई द्वारा की जा सकती है। इस समिति में एमआईबी, एआरओआई, एमएएलटी और आईसीईए जैसे मुख्य हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।

viii. ऐसे मोबाइल हैंडसेटों में एफएम रेडियो की कार्यक्षमता को सक्षम करने के संबंध में किसी भी गैर-अनुपालन होने के मामले की जानकारी या शिकायत दर्ज करने हेतु एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें एफएम रिसीवर के लिए आवश्यक कार्यक्षमता हो।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_05092023.pdf

भादूविप्रा ने दिनांक 19 सितंबर 2023 को "प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण" विषय पर अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 3 मार्च 2022 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को एक संदर्भ भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार क्षेत्र में संचालित विभिन्न लाइसेंसों के प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी को युक्तिकरण बनाने की मांग की गई।

प्रवेश शुल्क एक नियत एकमुश्त राशि है जिसे संभावित प्रवेशकों को बाज़ार में प्रवेश करने हेतु भुगतान करना होगा। प्रवेश शुल्क आम तौर पर गैर-वापसी योग्य होता है और एक फर्म के लिए स्टार्ट-अप लागत का गठन करता है। जबकि, बैंक गारंटी सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए एक प्रकार का वित्तीय साधन है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अनुज्ञप्तिधारी समय पर अपना बकाया राशि का भुगतान करता है और लाइसेंस करार में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करता है।

उक्त संदर्भ के आधार पर, भादूविप्रा द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2022 को "प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से तकनीकी परिवर्तन के माहौल में, दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास और व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाने के लिए, भादूविप्रा विभिन्न लाइसेंस प्राधिकरणों में प्रवेश शुल्क कम करने और बैंक गारंटी के विलय हेतु सरकार को अनुशंसाएँ की हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रवेश शुल्क में कटौती से बाजार में नए सेवा प्रदाताओं का प्रवेश होगा, निवेश बढ़ेगा तथा दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बैंक गारंटी के विलय होने से व्यापार में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा

और अनुज्ञप्तिधारियों को इस क्षेत्र में निवेश करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा जिससे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन दोनों उपायों से सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि होगी।

प्राधिकरण ने लाइसेंस के नवीनीकरण के समय किसी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लेने की भी अनुशंसाएं की है। इस तरह के कदम उठाने से मौजूदा और नए प्रवेशकों पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा और विशेष रूप से यूएल (वीएनओ) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए यह लाभकारी होगा।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i) यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) के साथ-साथ यूनिफाइड लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर) (यूएल (वीएनओ)) लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क मौजूदा स्तर से कम किया जाना चाहिए।

ii) एम2एम ("ए"/ "बी"/ "सी"), ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉइस मेल सेवा, आईएसपी "सी" के लिए कोई प्रवेश शुल्क अनुशंसित नहीं है।

iii) निम्नलिखित यूएल प्राधिकरणों के लिए प्रवेश शुल्क को युक्तिकरण बनाया जाना चाहिए:

क) एक्सेस सेवा: प्रत्येक टेलीकॉम सर्कल/मेट्रो क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपये से 50 लाख रुपये तक; जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्व प्रत्येक के लिए 0.5 करोड़ से 25 लाख तक।

ख) एनएलडी और आईएलडी: 2.5 करोड़ रुपये से 50 लाख रुपये तक।

ग) पीएमआरटीएस: प्रत्येक टेलीकॉम सर्कल/मेट्रो क्षेत्र के लिए 50 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक।

घ) आईएसपी "बी": प्रत्येक टेलीकॉम सर्कल के लिए 2 लाख रुपये से 50 हजार रुपये और जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व के लिए 25 हजार रुपये।

ड.) आईएसपी "ए": 30 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक।

iv) प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए यूएल (वीएनओ) प्राधिकरणों के लिए प्रवेश शुल्क को काफी कम कर दिया गया है।

v) लाइसेंस के नवीनीकरण के समय कोई प्रवेश शुल्क नहीं होना चाहिए।

vi) एकीकृत लाइसेंस के लिए, बकाया राशि को सुरक्षित करने, लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन को शामिल करने और लाइसेंस करार के तहत प्रदर्शन सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) और प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) को एक एकल बैंक गारंटी में विलय किया जाना चाहिए।

vii) इसी प्रकार, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लाइसेंस के लिए, एफबीजी और पीबीजी को एक ही बैंक गारंटी में विलय कर दिया जाना चाहिए।

viii) व्यापार में सुगमता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ईबीजी) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_19092023.pdf

भादूविप्रा ने "लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मुद्दों" पर अपनी अनुशंसाएं जारी कीं।

मेसर्स पीवीआर लिमिटेड से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति मांगी गई थी इसका इरादा एक कम पावर एफएम ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने का है, जिसका उपयोग ड्राइव-इन थिएटर एप्लिकेशन के लिए व्यावसायिक रूप से किया जाएगा। इस एप्लिकेशन का उपयोग के पीछे विचार यह है कि सूचना सामग्री को देखने के लिए एक थिएटर के आकार की स्क्रीन को एक खुली जगह में रखा जा सकता है और एक कम शक्ति वाले एफएम ट्रांसमीटर का उपयोग उस स्थान तक सीमित सीमा के साथ, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर सामग्री के ऑडियो को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद अंदर आने वाले दर्शक अपनी कारों में उक्त फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने और सामग्री को सुनने में सक्षम होंगे। इससे ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकेगा। यह विचार चल रही महामारी के कारण बड़े सार्वजनिक समारोहों पर लगाए गए प्रतिबंधों से भी प्रेरित है।

इस संदर्भ में, भादूविप्रा को कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण का उपयोग करने के लिए सेवा प्रदाता की नई श्रेणी की शुरुआत के संबंध में एमआईबी से एक संदर्भ प्राप्त हुआ। उन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल 2023 को 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, भादूविप्रा ने दिनांक 21 सितंबर 2023 को अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं।

अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. इस अनुशंसा में, भादूविप्रा ने कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम रेडियो के प्रावधान के लिए सेवा प्रदाता की एक नई श्रेणी पेश की है और इसे 'लो पावर छोटी रेंज एफएम रेडियो प्रसारण' कहा जाता है।

ख. एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल सरल पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकरण प्रदान करने में मदद करेगा।

ग. 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए उपकरण प्रसारित करने हेतु टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) द्वारा अनुमोदन।

घ. 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम ब्रॉडकास्टिंग' के लिए लाइसेंस पंजीकरण प्राधिकरण रखने के लिए पात्र संस्थाएं:

क) ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं और अठारह वर्ष से अधिक उम्र के हैं। 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम ब्रॉडकास्टिंग' के लिए लाइसेंस, पंजीकरण/प्राधिकरण रखने के लिए निम्नलिखित पात्र नहीं हैं:

i. एक ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से विकृत है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;
एक ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से विकृत है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत घोषित किया गया है;

ii. एक ऐसा व्यक्ति जो असेवामुक्त दिवालिया है।
एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त दिवालिया है।

iii. किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, चाहे वह नैतिक अधमता से जुड़ा हो या अन्यथा।

ख) एलएलपी और साझेदारी फर्मों सहित कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी।

जो लोग 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम ब्रॉडकास्टिंग' के लिए लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकरण रखने के पात्र नहीं हैं, वे इस प्रकार हैं:

i. राजनीतिक दल और उनके सहयोगी संगठन; [छात्रों, महिलाओं, ट्रेड यूनियनों और इन पार्टियों से संबद्ध ऐसे अन्य स्कंधों सहित]
ii. किसी राजनीतिक संस्था द्वारा नियंत्रित या उससे जुड़ी कंपनी;
iii. किसी धार्मिक संस्था द्वारा नियंत्रित या उससे जुड़ी कंपनी;
iv. एक कंपनी जिसे किसी भी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है, चाहे वह नैतिक अधमता से जुड़ा हो या अन्यथा।

एक कंपनी को किसी भी अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया चाहे वह नैतिक अधमता से जुड़ा हो या अन्यथा।

ड. 'लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग' सेवा के लिए अनुमति अवधि होनी चाहिए:

(i) तीस दिन तक

(ii) पाँच वर्ष तक

च. कोई आवेदन/प्रवेश शुल्क नहीं होना चाहिए

छ. तीस दिनों तक की अनुमति के लिए लाइसेंस/अनुमति/प्राधिकरण शुल्क 1000/- रुपये और पांच वर्ष की अनुमति के लिए 10,000/- रुपये प्रति वर्ष।

ज. डब्ल्यूपीसी को गहन मूल्यांकन करना चाहिए और कम-शक्ति, छोटी दूरी के एफएम प्रसारण की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उचित फ्रीक्वेंसी स्पॉट आरक्षित करना चाहिए।

झ. लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्रीक्वेंसी आवेदन प्रस्तुत करने के दो दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डब्ल्यूपीसी द्वारा प्रशासनिक रूप से आवंटित की जानी चाहिए।

ञ. लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकरण धारकों को किसी भी प्रकार की ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकियों (एनालॉग/डिजिटल/कोई अन्य) को तैनात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ट. 'लो पावर स्मॉल रेंज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग' की अधिकतम अनुमेय ट्रांसमिशन रेंज 500 मीटर होनी चाहिए।

ठ. 'लो पावर स्मॉल रेंज के एफएम के मामले में फ़्रीक्वेंसी असाइनमेंट के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को सटीक भौगोलिक निर्देशांक जैसे इच्छित सेवा स्थान के देशांतर और अक्षांश के आधार पर स्थान-विशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए (चाहे वह एक इमारत, स्टेडियम, सम्मेलन केंद्र एक्सपो क्षेत्र आदि हो)।

ड. 'लो पावर स्मॉल रेंज के एफएम प्रसारण के लिए अधिकतम स्वीकार्य ट्रांसमिशन पावर 1 वाट होनी चाहिए।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_21092023.pdf

22 सितंबर 2023 को "भारत में नेटवर्किंग और टेलीकॉम उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देना" पर सिफारिशें जारी की गईं

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 (एनडीसीपी-2108) में घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात बढ़ाकर और नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण, जिसे संक्षेप में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण (एनएटीई) कहा जाता है, के संबंध में आयात का बोझ कम करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान को अधिकतम करने की परिकल्पना की गई है। उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के तेजी से बढ़ते रोल-आउट के साथ-साथ स्मार्ट शहरों में डेटा सेंटर, एज डेटा सेंटर, आईओटी-आधारित नेटवर्क के संभावित प्रसार को देखते हुए, स्वदेशी उपकरण निर्माण के दायरे ने समकालीन दृष्टिकोण को अपनाया है।

एनडीसीपी-2018 के उद्देश्यों और एनएटीई के विनिर्माण के कुछ पहलुओं पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त आधार संदर्भ के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने समग्र रूप से विषय का अध्ययन किया है और "भारत में नेटवर्किंग और टेलीकॉम उपकरण विनिर्माण (एनएटीईएम) को बढ़ावा देना" पर अनुशंसाएँ जारी की हैं। इन अनुशंसाओं को जारी करने से पूर्व, भादूविप्रा ने विनिर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और इसमें शामिल सरकारी विभागों/एजेंसियों सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया है।

इन अनुशंसाओं का उद्देश्य "घरेलू उत्पादन बढ़ाने" की अवधारणा से आगे बढ़ना और "वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में स्थानीय मूल्यवर्धन" पर ध्यान केंद्रित करना है।

इन अनुशंसाओं में शामिल मुख्य फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं:

(i) क्रॉस-कंट्री मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी में स्थानीय मूल्य संवर्धन की सुविधा प्रदान करना;

(ii) नई पीढ़ी के नेटवर्क में नेटवर्क तत्वों के समकालीन सॉफ्टवेयरीकरण के अनुसार एक अलग उत्पाद लाइन के रूप में "दूरसंचार सॉफ्टवेयर" पर बल दिया गया;

(iii)भारत से निर्यात को सुविधाजनक बनाना

(iv)सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देकर उद्यमशीलता का विकास करना।

(v) भारत में एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_23092023.pdf

दिनांक 22 सितंबर 2023 को "भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर अनुशंसाएँ जारी की गईं

भादूविप्रा समय-समय पर देश के दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार अवसंरचना को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करता रहा है। इससे पहले, भादूविप्रा ने भारत के दूरदराज और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार को कुछ प्रमुख अनुशंसाएँ भी की थीं।

भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन पर्याप्त ट्रांसमिशन बैंडविड्थ (ओएफसी/माइक्रोवेव/सैटेलाइट) की कमी के कारण हाई-स्पीड मोबाइल आधारित इंटरनेट और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कमी है। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य कई कारणों से एक महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन से ग्रस्त हैं और इन कारणों में दुर्गम इलाके की स्थिति, बिजली आपूर्ति की खराब उपलब्धता, ट्रांसमिशन मीडिया से संबंधित सीमाएं, टीएसपी के लिए निवेश की खराब वापसी (आरओआई) की संभावनाएं, रास्ते का अधिकार (आरओडब्ल्यू) से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इस विभाजन के कारण क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया है; आवश्यक सेवाएँ एवं सूचनाएँ समय पर नहीं मिल पातीं। यह पूर्वोत्तर भाग और भारत के अन्य भाग के बीच विकासात्मक अंतर को बढ़ाता है।

प्राधिकरण ने उत्तर पूर्वी राज्यों में सभी आबादी को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से दूरसंचार अवसंरचना की वर्तमान स्थिति, दूरसंचार अवसंरचना के परिनियोजन में उत्पन्न होने वाले मुद्दों और इसमें आगे के सुधार के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों का मूल्यांकन करने हेतु टीएसपी (यानी

एयरटेल, रिलाइंस जियो, वोडाफोन-आइडिया), अवसंरचना प्रदाताओं, टेलीकॉम पीएसयू (यानी बीएसएनएल, रेलटेल, पीजीसीआईएल), राज्य सरकार के विभाग, डीओटी फील्ड इकाइयां, यूएसओएफ, ग्राम पंचायत प्रशासन, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम और त्रिपुरा में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श/बातचीत (बैठकें, प्रगति की समीक्षा, क्षेत्र दौरे आदि के रूप में) की। प्राप्त इनपुट और विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने 'भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार' पर अपनी अनुशंसाएँ तैयार की हैं।

भादूविप्रा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों की अनुशंसाएँ करता है:

i. राज्य की मार्गाधिकार नीतियों में सुधार करना
ii. सोलर बैकअप स्थापित करने के लिए यूएसओएफ से सहायता का प्रावधान
iii. ओएफसी बैकबोन कनेक्टिविटी के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
iv. सुदूर और कठिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर साइटों पर सैटेलाइट बैकहॉल
v. 4जी संतृप्ति परियोजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे सभी शामिल न किए गए/गैर-4जी गांवों जिनमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन, डाकघर, राशन की दुकानें, आंगनवाड़ी केंद्र आदि हैं, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे गांव की आबादी कितनी भी हो।
vi. कुछ विशेष ग्राम स्तरीय सरकारी संस्थानों को भारतनेट कनेक्शन प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से राज्यों (उत्तर पूर्व क्षेत्र सहित) को अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से बजटीय सहायता

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_23092023.pdf

दिनांक 29 सितंबर 2023 को "हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार" पर अनुशंसाएँ जारी की गईं

भादूविप्रा समय-समय पर विशेषकर देश के दूरदराज, पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में बैकहॉल और पहुंच योग्य दूरसंचार अवसंरचना में सुधार की दिशा में लगातार प्रयास करता रहा है। प्राधिकरण ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को 'हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी और अवसंरचना में सुधार' पर अपनी पिछली अनुशंसाओं में चार जिलों (चंबा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, और

मंडी) के सभी तहसीलों/तालुकाओं को शामिल करते हुए कोर ट्रांसमिशन बैकहॉल नेटवर्क के लिए एक व्यापक निवेश योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, और यह भी कहा कि इस मुद्दे को हल करते हुए एक अलग से अनुशंसा जारी की जाएगी। ये चार जिले राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत दूरस्थ और अविकसित हैं, जिसके कारण उचित दूरसंचार और बैकहॉल अवसंरचना की कमी है

उपरोक्त सिफारिश के अनुरूप, भादूविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने जून 2023 में हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जमीनी स्तर की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु इस टीम द्वारा टीएसपी, राज्य सरकार के अधिकारियों, सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों आदि सहित संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत में लगे कोर ट्रांसमिशन बैकहॉल नेटवर्क का व्यापक मूल्यांकन किया किया।

विश्लेषण के आधार पर और एक मजबूत, टिकाऊ और लचीला बैकहॉल टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए *'हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बैकहॉल दूरसंचार अवसंरचना में सुधार'* पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। ये सक्रिय प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि भौगोलिक रूप से विश्वसनीय और उन्नत दूरसंचार सेवाऐं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक उपलब्ध हो सके

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_29092023.pdf

परामर्श

भादूविप्रा ने दिनांक 14 सितंबर 2023 को "उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों की तीव्र प्रगति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना और उनका समाधान करना है, जिसमें समाज और उद्योगों के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आज की दुनिया में ऑनलाइन जुड़े रहना जीवन का एक तरीका बन गया है। कनेक्टिविटी रोजमर्रा के कार्यों जैसे जानकारी तक अभिगम, बुनियादी सेवाएं प्राप्त करना, दूर से कार्य करना, शिक्षा प्राप्त करना, वित्तीय लेनदेन करना और प्रियजनों के साथ जुड़े रहना, के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करती है। भादूविप्रा यह मानता मानता है कि डिजिटल समावेशन सही समय पर देश के प्रत्येक नागरिक का सशक्तीकरण है, ऐसा न करने पर डिजिटल सेवाओं की पहुंच में अंतर और बढ़ सकता है और इस तरह समाज के बड़े हिस्से के साथ-साथ अन्य लोग भी, जो अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, समावेशी विकास से वंचित हो सकते हैं। परामर्श पत्र में, भादूविप्रा ने डिजिटल आर्थिक गतिविधियों में व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच एक मजबूत नीति ढांचे और सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत ने डिजिटल परिवर्तन में उल्लेखनीय प्रगति की है और ग्राहकों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बनकर उभरा है। देश में मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन और इंटरनेट उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही डेटा लागत में भी काफी कमी आई है। डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019, भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसएएफ) जैसी सरकार की पहलों ने पूरे देश में कनेक्टिविटी का विस्तार करने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एक समावेशी वित्तीय समाज के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की सफलता की कहानी को दुनिया भर में अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी ने वंचितों के बैंक खातों में कल्याण सब्सिडी के पारदर्शी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपीआई ने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में आसानी से धन अंतरण करने का अधिकार दिया है। इन उपलब्धियों के बावजूद, यह देखा गया है कि समाज और भौगोलिक क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड की पहुंच और इसके प्रभावी उपयोग में असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर काम करने वाली सेवाओं और अनुप्रयोगों की पहुंच, सामर्थ्य और प्रभावी और सुरक्षित उपयोग से संबंधित

चिंताएं हैं, विशेष रूप से सीमांत पर रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों, महिलाओं और लड़कियों और दूरदराज और कठिन इलाकों या गांवों में कार्य करने वाले सूक्ष्म या लघु उद्यमियों की भागीदारी, जिसे समयबद्ध तरीके से हल करने की आवश्यकता है।

भादूविप्रा ने अपने परामर्श पत्र में देश में मौजूद डिजिटल समावेशन में विभिन्न अंतरालों का विश्लेषण किया है, जिसमें मोबाइल इंटरनेट उपयोग अंतर, ग्रामीण-शहरी इंटरनेट प्रवेश असमानताएं, इंटरनेट एक्सेस में लैंगिक अंतर आदि शामिल हैं, साथ ही उन अंतरालों को भी शामिल किया गया है जिन्हें कुछ वैश्विक सूचकांक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। हम एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सक्रिय रूप से समावेशन को प्राथमिकता दे सकते हैं जो सभी के लिए लाभप्रद है, और यह अधिक न्यायसंगत और सुलभ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है।

तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग आधारित सेवाओं सहित 5जी सक्षम सेवाओं की लॉन्चिंग और इन तकनीकों को अपनाने और उपयोग करने की संबंधित लागत डिजिटल विभाजन को और अधिक बढ़ा सकती है, खासकर सीमांत पर रहने वाले समुदायों और वंचित क्षेत्रों के लिए। बुनियादी ढांचे की असमान पहुंच, सीमित डिजिटल साक्षरता, और सामर्थ्य के मुद्दे उभरती प्रौद्योगिकियों के समान वितरण और उपयोग में बाधा बन सकते हैं, जिससे डिजिटल समावेशन में मौजूदा असमानताएं बढ़ सकती हैं। व्यापक डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण उत्पन्न होने वाली कमियों को दूर करना अनिवार्य है।

भादूविप्रा ने देश में नए और उभरते डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान की है। चूंकि एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए यह जरूरी है कि एमएसएमई को नई उभरती प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जाए, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को क्योंकि अधिकांश एमएसएमई सूक्ष्म उद्यम हैं।

परामर्श पत्र को निम्नलिखित लिंक/क्यूआर कोड से प्राप्त किया जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Cons_P_14092023.pdf

भादूविप्रा ने दिनांक 14 सितंबर 2023 को टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया।

भादूविप्रा ने दिनांक 21 फरवरी 2013 को उपभोक्ता संगठन पंजीकरण विनियम, 2013 (2013 का 1) [इसमें इसके बाद "प्रमुख विनियम" के रूप में संदर्भित] को अधिसूचित किया था।

प्राधिकरण, वर्तमान में प्रमुख विनियमों के तहत राज्य-वार उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत कर रहा है जो विनियमों में उल्लिखित भूमिकाओं का पालन करके प्राधिकरण की सहायता कर सकते हैं।

तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, 5जी, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी) आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां उपभोक्ताओं के जीवन की बेहतरी के लिए अपार संभावनाएं रखती हैं। इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामले समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सहायक हो सकते हैं। एआई और आईओटी समुदायों को वास्तविक समय की बाजार जानकारी तक पहुंचने, संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने और फसल की पैदावार बढ़ाने के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। आईओटी सेंसर सहायता के साथ एआई-संचालित मौसम पूर्वानुमान किसानों को सूचित कृषि संबंधी निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। 5जी-सक्षम हाई-स्पीड कनेक्टिविटी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एआई-संचालित विश्लेषिकी के साथ व्यवसायों और स्टार्टअप को सशक्त बनाती है। दूरदराज के क्षेत्रों में 5जी उन्नत सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा, जबकि आईओटी-संचालित आपदा भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया प्रणाली कमजोर समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा लचीलापन को बढ़ावा देती है। प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने पर ये प्रौद्योगिकियां समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, पहुंच बढ़ा सकती हैं और होने वाले सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम कर सके ।

उपभोक्ता संगठन, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए इन उभरती प्रौद्योगिकियों से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। विषय -आधारित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, ये संगठन इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामलों को समझाने में भादूविप्रा की सहायता कर सकते हैं, महिलाओं, किसानों, मत्स्यपालकों, छात्रों आदि जैसे विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को उनके संभावित लाभों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, और साइबर स्वच्छता का प्रचार कर सकते हैं और उपभोक्ताओं को डाटा प्राइवेसी के बारे में जागरूक कर सकते हैं।

प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिनकी कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदगी है और जागरूकता सामग्री विकसित करके अभियान चलाने और विषय-आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता और अनुभव है, जो उपभोक्ताओं और प्राधिकरण के बीच एक इंटरफ़ेस प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित संशोधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर के पंजीकरण के तहत पांच से

अधिक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए व्यापक पहुंच वाले सक्षम उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने में सक्षम करेगा। ऐसे उपभोक्ता संगठनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को यह सरल बनाता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Consultation_Paper_14092023.pdf

भादूविप्रा ने दिनांक 21 सितंबर 2023 को "राष्ट्रीय प्रसारण नीति" तैयार करने के लिए इनपुट पर पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया

भादूविप्रा ने दिनांक 21 सितंबर 2023 को "राष्ट्रीय प्रसारण नीति" तैयार करने के लिए इनपुट पर पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया। इसमें हितधारकों से राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए संभावित संरचना और सामग्री पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें तर्क के साथ विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

निम्नलिखित लिंक/क्यूआर कोड से परामर्श पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_21092023.pdf

भादूविप्रा ने दिनांक 22 सितंबर 2023 को दूरसंचार, प्रसारण और आईटी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने पर परामर्श पत्र जारी किया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य देश के आईसीटी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आईसीटी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के विकास और नवाचार हेतु सरकारी और निजी सहभागिता द्वारा विधिवत समर्थित अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का एक पूल तैयार करने की सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं हैं।

अनुसंधान एवं विकास ने आज की दुनिया को एक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान एवं विकास का आगमन और विकास नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और इसे लागू करने, आर्थिक प्रणालियों को आकार देने और कई औद्योगिक क्रांतियों के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार लाने में

महत्वपूर्ण रहा है। जैसा कि दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है, किसी राष्ट्र का अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र उसके आर्थिक विकास और समग्र प्रगति से जुड़ा होता है। यह उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाकर अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा, किसी देश की आत्मनिर्भरता और उसकी सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास और नवाचार भी महत्वपूर्ण हैं।

भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 40वें स्थान पर "मध्य और दक्षिणी एशिया" क्षेत्र में सर्वोच्च रैंक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश ने निवासियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सृजन में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। सरकार की पहल जैसे "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020", " राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019", "राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018", "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" आदि ने देश में अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, "आत्मनिर्भर भारत", "टेलीकॉम प्रोडक्ट-लिंक्ड इंसेंटिव्स (पीएलआई) स्कीम", "डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर" जैसी हालिया पहल भी इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही हैं।

तथापि, भारत में मौजूदा अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र में, आईसी] क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने में और सुधार के क्षेत्र हैं, अनुसंधान एवं विकास में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना और भारत में प्रासंगिक शिक्षणों को लागू करना और उन मुद्दों की पहचान करना जिनमें एलईटी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में सुधार करने के लिए नीतियों और प्रोत्साहनों के संदर्भ में हस्तक्षेप की आवश्यकता है तथा भारत को विश्व नेता के रूप में उभरने में सहायता करना है। इसे देखते हुए और स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों और सेवाओं के साथ एलसी'टी उद्योग के व्यवस्थित विकास के उपायों पर भादूविप्रा अधिनियम 1997 के अनुसार, प्राधिकरण ने इस महत्वपूर्ण विषय पर भारत सरकार को अनुशंसाएँ करने के उद्देश्य से हितधारकों के साथ परामर्श के लिए स्वतः आधार पर देश में लश्कर क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के मुद्दों को उठाने का निर्णय लिया।

ऑनलाइन विचार-मंथन सत्र और आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद आदि के शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों के इनपुट के आधार पर तैयार परामर्श पत्र में, भादूविप्रा ने उन महत्वपूर्ण मुद्दों का विश्लेषण किया है जिनके लिए तीन फोकस तत्वों: "शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली", "विज्ञान प्रणाली" और "विनियामक ढांचा" के तहत भारत में मौजूदा अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तीसरे फोकस तत्व "विनियामक फ्रेमवर्क" को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, "नीतियां और कार्यक्रम" और "आईपीआर फ्रेमवर्क"। सक्रिय रूप से अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को प्राथमिकता देने से देश में उभरते उद्यमियों और नवप्रवर्तकों के लिए अनुकूल माहौल बन सकता है। परामर्श पत्र

में, भादूविप्रा एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता पर बल देता है और संभावित मुद्दों पर चर्चा करता है जिन्हें इसे सक्षम करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

दूरसंचार, प्रसारण और आईटी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय प्रगति और अभिसरण तेजी से हो रहा है। इन क्षेत्रों में कुछ उभरते रुझान हैं 5जी, 6जी, ओपन-आरएएन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी), एआई और एमएल, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी), ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन (एनएफवी), सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग (एसडीएन), ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवाएं और हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) आदि। जैसा कि परामर्श पत्र में चर्चा की गई है, सरकार-उद्योग-अकादमिक सहयोग, अनुसंधान का व्यावसायीकरण, निजी निवेश को प्रोत्साहन, पेटेंट अनुमोदन चक्र, आईपीआर संरक्षण और आईपी-आधारित वित्त आदि से संबंधित मुद्दे जिन्हें इन उभरते रुझानों को भुनाने और भारत के अनुसंधान एवं विकास और नवाचार प्रयासों की पूरी क्षमता को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

इस परामर्श पत्र में, भादूविप्रा ने अनुसंधान एवं विकास और नवाचार क्षेत्र में अग्रणी देशों के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र का भी पता लगाया है। इनमें इज़राइल, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड आदि शामिल हैं। अनुसंधान एवं विकास में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं भारत के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा में महत्वपूर्ण सीख के रूप में कार्य कर सकती हैं। .

निम्नलिखित लिंक/क्यूआर कोड से परामर्श पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/CPS_22092023.pd

भादूविप्रा ने दिनाक 27 सितंबर, 2023 को 'भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन' पर परामर्श पत्र जारी किया।

डिजिटल कनेक्टिविटी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों के डिजिटलीकरण में तेजी से हो रही वृद्धि ने दुनिया में एक क्रांति ला दी है, जिससे अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्थिरता, शासन और जीवन शैली तक हर चीज प्रभावित हुई है। हाल के वर्षों में डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग कई गुना बढ़ गई है। महामारी के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं के सभी वर्गों में मांग में वृद्धि देखी गई है, भले ही उनका स्थान कुछ भी हो।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विस्तृत अध्ययन करके और हितधारकों को उपयुक्त निर्देश जारी करके देश भर में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। तथापि सड़क पर दूरसंचार सेवाओं के कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, फिर भी उपयोगकर्ताओं की सेवा मांगों की कथित गुणवत्ता को पूरा करने, विशेषकर भवनों, आवासीय या वाणिज्यिक क्षेत्रों के अंदर में, अभी भी कई कमियां देखी गई हैं, ।

भवनों के अंदर दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता उपभोक्ता हितों की सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। भादूविप्रा ने "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर दिनांक 20 फरवरी 2023 की अनुशंसा सहित विभिन्न नीतिगत पहल पूर्व में ही कर ली हैं। ये अनुशंसाएँ सहयोगात्मक और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण के माध्यम से उपभोक्ताओं को अच्छा डिजिटल कनेक्टिविटी अनुभव सुनिश्चित करने हेतु बिल्डिंग रेटिंग फ्रेमवर्क की शुरूआत का प्रावधान करती हैं।

"*भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क पर विनियमन*" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया गया है ताकि भवनों के अंदर क्यूओएस में सुधार और निर्बाध उपभोक्ता अनुभव के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों और क्षेत्रों के लिए रेटिंग ढांचे के कार्यान्वयन के विनियमन पर विचार-विमर्श किया जा सके।

परामर्श पत्र डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो न केवल उपभोक्ताओं की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करता है बल्कि प्रौद्योगिकियों की प्रगति या उपयोगकर्ताओं की मांग में बदलाव के साथ भविष्य के विस्तार या उन्नयन के लिए भी तैयार है। यह परामर्श पत्र अंतिम उपयोगकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रेटिंग ढांचे के लाभों पर भी चर्चा करता है।

निम्नलिखित लिंक/क्यूआर कोड से परामर्श पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Cons_Paper_27092023_0.pdf

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2023 को "टेरा हट्र्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग का सृजन करने हेतु अप्रयुक्त या सीमित प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और डी-लाइसेंसीकृत उपयोग" पर परामर्श पत्र जारी किया गया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 08.12.2022 के एक संदर्भ के माध्यम से भादूविप्रा से टेरा हट्र्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन हेतु अप्रयुक्त या सीमित प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और डी-लाइसेंसीकृत उपयोग पर परामर्श पत्र पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया।

टेराहट्र्ज़ (टीएचजेड) विकिरण को आम तौर पर 100 गीगा हट्र्ज़ से 10 टेराहट्र्ज़ की सीमा में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मिलीमीटर और अवरक्त आवृत्तियों के बीच होता है। उप-मिलीमीटर, दूर-अवरक्त और निकट-मिलीमीटर तरंग जैसे टेराहट्र्ज़ बैंड के अलग-अलग नामकरण हैं। टेराहट्र्ज़ विकिरण का उपयोग कई संभावित अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जिसमें टेराहट्र्ज़ इमेजिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी और वायरलेस संचार शामिल हैं।

परामर्श पत्र में मौजूदा प्रयोगात्मक लाइसेंस व्यवस्था और कुछ बैंडों की टेराहट्र्ज़ आवृत्तियों में लाइसेंस मुक्त संचालन की अनुमति और इसके निबंधन और शर्तों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

इस संबंध में, दिनांक 27.09.2023 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से दिनांक 25.10.2023 तक टिप्पणियां और दिनांक 08.11.2023 तक प्रति-टिप्पणियां मांगी गई थीं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_27092

भादूविप्रा ने 27 सितंबर 2023 को "ई एंड वी बैंड में स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट और माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) के लिए स्पेक्ट्रम पर परामर्श पत्र" पर परामर्श पत्र जारी किया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 12.08.2022 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से निम्नलिखित विन्दुओं अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया:

(क) लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, स्पेक्ट्रम की मात्रा, असाइनमेंट की अवधि, सेवाओं के उपयोग की सीमा, स्पेक्ट्रम कैप, भुगतान की शर्तें, पात्रता शर्त, नीलामी की पद्धति और

स्थलीय और/या उपग्रह-आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए ई और वी बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए और अन्य संबंधित शर्तें;

(ख) ई और वी बैंड में गैर-वाणिज्यिक कैप्टिव पृथक उपयोग के लिए निर्धारित किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा; और असाइनमेंट की पद्धति, जहां नीलामी संभव नहीं है और उसके लिए मूल्य निर्धारण;

(ग) आंशिक या पूर्ण वी बैंड में स्थलीय और या उपग्रह-आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा नीलामी से प्राप्त स्पेक्ट्रम के उपयोग के समानांतर में लाइसेंस-छूट प्राप्त आधार पर कम बिजली, इनडोर, उपभोक्ता डिवाइस-से-उपभोक्ता डिवाइस के उपयोग की अनुमति देने के लिए तकनीकी मापदंडों सहित व्यवहार्यता;

(घ) स्थलीय और/या उपग्रह-आधारित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के साथ-साथ गैर-व्यावसायिक बंदी पृथक उपयोग हेतु 6/7/13/15/18/21 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में एमडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूबी आरएफ वाहक की आवंटन पद्धति, मात्रा और मूल्य निर्धारण पर एक नई अनुशंसा;

इस संबंध में हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए दिनांक 27.09.2023 को इस विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा।

निम्नलिखित लिंक/क्यूआर कोड से परामर्श पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Consultation_Paper_27092023.pdf

हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 27 सितंबर 2023 को ड्राफ्ट दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 जारी किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए विनियामक ढांचा तैयार किया है। अब तक दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के आठ संशोधन जारी किए जा चुके हैं।

हाल के दिनों में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को अपने विभिन्न संचारों के माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए विनियामक ढांचे के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। दूरसंचार विभाग से प्राप्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए मसौदा संशोधन विनियम जारी करने का निर्णय लिया है।

मसौदा विनियमों में, धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप को रोकने के लिए एमएनपी अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक मानदंड शामिल करने हेतु संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यह पोर्टिंग से पहले ग्राहकों के जनसांख्यिकीय विवरण के मिलान के संबंध में हितधारकों से विचार भी मांगता है।

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा दिनांक 27.09.2023 को जारी किया गया था और 25.10.2023 तक हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गईं थीं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_270920

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 29 सितंबर 2023 को "5जी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य नीतिगत चुनौतियों की पहचान करना और 5जी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था के समग्र और सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और प्रभावी उपयोग के लिए सही नीति ढांचे का सुझाव देना है।

भारत तेजी से डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जो इसकी अर्थव्यवस्था और समाज को एक नया आकार दे रहा है। तेज़ और विश्वसनीय मोबाइल संचार प्रौद्योगिकियाँ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में यह सरकार की मदद कर रही हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और कई अन्य नवीन जी2बी और जी2सी अनुप्रयोगों जैसी सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बना रहा है। 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी (एआर/वीआर) और मेटावर्स जैसी प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, भारत विकास और नवाचार के नए अवसरों को अनलॉक करने के लिए तैयार है।

भारत में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को 5जी सेवाएं लॉन्च की गईं और दूरसंचार सेवा प्रदाता देश भर में 5जी नेटवर्क को आक्रामक रूप से लॉन्च कर रहे हैं। सरकार ने 5जी अवसंरचना के निर्माण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। भादूविप्रा ने देश में 5जी नेटवर्क और सेवाओं की तेजी से परिनियोजन के लिए कई अनुशंसाएं भी की हैं। 5जी को तेजी से लागू करने की सुविधा हेतु क्रॉस सेक्टोरल सहयोगात्मक पहल भी की गई है। 5जी अवसंरचना का परिनियोजन के अलावा, उपभोक्ताओं और उद्यमों के लिए नए उपयोग के मामलों का विकास और परिनियोजन 5जी प्रौद्योगिकी की व्यापक प्रसार और पूर्ण प्राप्ति या क्षमता के लिए आवश्यक है। जब 5जी का उपयोग एआई, विस्तारित वास्तविकता (एक्सआर), और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) के साथ किया जाता

है, तो यह व्यवसाय और समाज को इन अन्य तकनीकी प्रगति का पूरा लाभ प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

तथापि, इसे प्राप्त करने के लिए 5जी के बड़े पैमाने पर लाभों को अनलॉक करने के लिए उपभोक्ता स्वीकार्यता और बाजार की तैयारी को बढ़ाने के लिए टीएसपी, ओईएम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं और सरकार के बीच प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग की आवश्यकता होगी। उद्योगों में प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए 5जी परिनियोजन के लिए पर्याप्त अवसंरचना के उन्नयन और फाइबराइजेशन के साथ-साथ नेटवर्क सघनीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 5जी को अपनाना भारत-विशिष्ट उपयोग के मामलों को विकसित करने के लिए समर्पित अनुसंधान एवं विकास निवेश, उद्यम पहुंच, डिवाइस सामर्थ्य और उपभोक्ता द्वारा अपनाए जाने जैसे कारकों पर निर्भर करेगा।

इस पृष्ठभूमि के साथ, प्राधिकरण नीतिगत चुनौतियों की पहचान करने और 5जी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था के समग्र और सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और प्रभावी उपयोग के लिए सही नीति ढांचे का सुझाव देने के लिए स्वतः आधार पर परामर्श पत्र लेकर आया है।

परामर्श के लिए मुद्दों पर हितधारकों से दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक लिखित टिप्पणियाँ और दिनांक 13 नवंबर 2023 तक प्रति टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती हैं।

निम्नलिखित लिंक/क्यूआर कोड से परामर्श पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_29092023.pdf

विनियमन

भादूविप्रा ने दिनांक 11 सितंबर 2023 को 'सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03)' जारी किया, जिसे दिनांक 12.09.23 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश भी 19 सितंबर 2023 को जारी किए गए थे।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं की मीटरिंग और बिलिंग की यथार्थता पर विनियामक का मुख्य ध्यान रहा है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 21 मार्च 2006 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए अभ्यास संहिता) विनियमन, 2006 को अधिसूचित किया।

इन विनियमों में मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए अभ्यास संहिता शामिल है जिसका अनुपालन सभी बुनियादी सेवा प्रदाताओं, एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाना है। सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए अभ्यास संहिता) विनियमन, 2006 में संशोधन दिनांक 25 मार्च 2013 को जारी किया गया था।

पिछले दस वर्षों में, दूरसंचार नेटवर्क और उनकी तकनीक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कई नई सेवाएँ पेश की जा रही हैं। टैरिफ पेशकशों के साथ-साथ सेवाओं के उपयोग पैटर्न में भी काफी बदलाव आया है।

इन परिवर्तनों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने विनियमन की समीक्षा के लिए एक सार्वजनिक परामर्श लिया। परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत, "सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023" पर मसौदा विनियम और दिशानिर्देश दिनांक 24 फरवरी 2023 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर जारी किए गए थे, जिसमें दिनांक 1 मई 2023 तक हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इसके बाद दिनांक 07 जुलाई 2023 को हितधारकों के साथ ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों, ओएचडी के दौरान हुई चर्चाओं, बाद में सेवा प्रदाताओं की टीम के साथ चर्चा, पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत और उसके विश्लेषण के आधार पर सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 (03) 2023) को प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया गया और इसे जारी किया गया।

विनियमों को अंतिम रूप देते समय, प्राधिकरण ने दो प्रमुख उद्देश्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित किया है; (i) यह सुनिश्चित करके ग्राहकों के हितों की रक्षा करना कि सेवा प्रदाता अपनी मीटरिंग और

बिलिंग प्रणाली(यों) में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना (ii) व्यवसाय करने में आसानी (ईओडीबी) को बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाता पर अनुपालन बोझ को कम करना। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति में एकल केंद्रीकृत या कुछ क्षेत्रीय बिलिंग प्रणालियों के कार्यान्वयन की दिशा में उद्योग में उभरते रुझानों पर विचार किया है।

नए विनियम, सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) दिनांक 11.09.2023 जारी करके, पूर्व के विनियम अर्थात् सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए अभ्यास संहिता) विनियमन, 2006 और दिनांक 25 मार्च 2013 को जारी किए गए इसके संशोधन निरस्त कर दिए गए हैं।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_13092023.pdf

भादूविप्रा ने दिनांक 15 सितंबर 2023 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का 4) जारी किया।

संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क) डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (डीआरएम) सिस्टम आवश्यकताओं के लिए एक नई अनुसूची एक्स निर्धारित की गई है जिसमें निम्न शामिल हैं:

i. जहां तक डीआरएम आवश्यकताएं आईपीटीवी सेवाओं के लिए ग्राहक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) से संबंधित हैं।
ii. ग्राहकों द्वारा सशर्त पहुंच और आईपीटीवी सेवाओं के लिए एन्क्रिप्शन के लिए डीआरएम आवश्यकताएं।
iii. जहां तक डीआरएम आवश्यकताएं आईपीटीवी सेवाओं के लिए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित हैं।
iv. डीआरएम आवश्यकताएँ जहाँ तक वे एसटीबी/विशिष्ट उपभोक्ता सदस्यता से संबंधित हैं।

ख) समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम, प्रौद्योगिकी तटस्थ, हल्का-स्पर्श विनियामक शासन, जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हुए विकास और तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है।

कार्यक्रम

भादूविप्रा के अध्यक्ष ने अपने प्रारम्भिक प्रशिक्षण के क्रम में दूरसंचार विभाग से जुड़े सहायक सचिवों (आईएएस 2021) से मुलाकात की। दिनांक 1 सितंबर 2023 को आयोजित बैठक में सचिव, भादूविप्रा और सलाहकार (प्रशासन/आईआर) भी उपस्थित थे।

भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी. डी. वाघेला ने दिनांक 8 सितंबर 2023 को आयोजित जीएसएमए एम360 एपीएसी सम्मेलन के मौके पर थाईलैंड के विनियामक एनबीटीसी के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने एशिया प्रशांत के लिए आईटीयू क्षेत्रीय विकास मंच के उद्घाटन समारोह में दर्शकों को ऑनलाइन संबोधित किया । इस कार्यक्रम का विषय था सतत और न्यायसंगत डिजिटल भविष्य के लिए डिजिटल परिवर्तन और नवाचार: अवधि 13-15 सितंबर 23 के दौरान एसडीजी का समर्थन करना।

भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी. डी. वाघेला 25 सितंबर 23 को भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रकाशन के लिए भादूविप्रा अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार 6 गीगाहर्ट्ज पर एक श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं।

दूरसंचार सब्सक्रिप्शन

दिनांक 31 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा:

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	628.55	27.92	656.47
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	517.69	2.69	520.38
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (लाखों)	**1146.25**	**30.61**	**1176.85**
समग्र दूरसंचार-घनत्व(%)	82.38	2.20	84.58
शहरी सदस्यता का हिस्सा (%)	54.84	91.22	55.78
ग्रामीण सब्सक्राइबर्स का हिस्सा (%)	45.16	8.78	44.22
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन)	832.50	35.70	868.20

जुलाई 2023 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबर 1046.41 मिलियन थे।

जुलाई 2023 में एमएनपी के लिए 11.77 मिलियन ग्राहक अनुरोध किए गए थे। इसके लागू होने के बाद जुलाई 2023 के अंत तक कुल 864.76 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया।

विविध

लेखा परीक्षकों के पैनल की अद्यतन सूची:

भादूविप्रा ने दिनांक 05 सितंबर 2023 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) का लेखापरीक्षा करने हेतु लेखा परीक्षकों के पैनल की अद्यतन सूची जारी की, जिसके अनुसार एक लेखा परीक्षक को 23 सितंबर 2025 तक का विस्तार दिया गया है। दिनांक 30 सितंबर 2023 तक डीएएस का लेखापरीक्षा करने के लिए भादूविप्र द्वारा सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों की कुल संख्या 50 है।

उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) निम्नानुसार संचालित किए:

क्र. सं. .	स्थान	तिथि
1	मधुबनी (बिहार)	5 सितंबर 2023
2	मनन्थावडी (केरल)	8 सितंबर 2023
3	इटावा (उत्तर प्रदेश)	14 सितंबर 2023
4	पुष्कर (राजस्थान)	20 सितंबर 2023
5	धमतरी (छत्तीसगढ़)	25 सितंबर 2023
6	मैंगलोर (कर्नाटक)	26 सितंबर 2023
7	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	26 सितंबर 2023
8	भुवनेश्वर (ओडिशा)	27 सितंबर 2023

फोटो गैलरी

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2023 को मधुबनी (बिहार) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2023 को मनंथावाडी (केरल) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2023 को इटावा (उत्तर प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2023 को पुष्कर (राजस्थान) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2023 को धमतरी (छत्तीसगढ़) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर द्वारा 26 सितंबर 2023 को मैंगलोर (कर्नाटक) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2023 को दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2023 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस न्यूजलेटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सदस्यता डेटा आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002

हम फेसबुक पर उपलब्ध हैं! हमसे https://www.facebook.com/TRAI/ पर जुड़ें!

हम ट्विटर पर भी हैं! हमें TRAI@TRAI पर फॉलो करें

****